

विद्या लक्ष्मी
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग।
(भू-अर्जन निदेशालय बिहार, पटना)

अधिधोषणा

संख्या - 2200/रा०

दिनांक - 06-09-13

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि ग्राम - महेशवारा असली, थाना - कटरा, थाना नं०- 241, परगना - बरैल, जिला - मुजफ्फरपुर में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् बागमती वायों तटबंध निर्माण के लिए सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण आपेक्षित है। इसलिए इसके द्वारा अधिधोषित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त ग्राम - महेशवारा असली, के भीतर भूमि का एक/कई टुकड़े आपेक्षित है जो मानक माप से कम बेस x बीधा x कट्टा x धूर है जो 30.35 एकड के बराबर है और जिसका प्लॉट संख्या एवं चौहद्दी निम्न प्रकार हैं :-

अर्जनाधीन भूमि :- पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या - 47, 170, 244, 243, 241, 237, 216, 322, 323, 324, 320, 347, 716, 714, 608, 589, 588 एवं 586 तथा अंश सर्वे खेसरा संख्या - 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 94, 93, 92, 55, 91, 90, 89, 149, 148, 144, 145, 146, 139, 150, 169, 171, 172, 173, 242, 240, 238, 236, 245, 184, 235, 287, 288, 233, 234, 201, 289, 290, 291, 231, 232, 230, 288, 227, 226, 210, 212, 224, 223, 222, 215, 214, 221, 217, 326, 307, 321, 308, 325, 319, 318, 330, 329, 331, 345, 346, 712, 709, 713, 348, 601, 602, 603, 604, 619, 605, 606, 607, 616, 716, 609, 590, 591, 610, 587, 584, 585, 582, 583, 559, 1360, 554, 546, 558, 557, 556, 555, 552, 551, 550, 539, 455, 2784
456, 458, 454 एवं 459.

चौहद्दी

उत्तर :- सीमा रेखा बन्दवारा उर्फ बहादुरपुर, थाना नं०-237 .

दक्षिण :- सीमा रेखा तुरूक टोलिया उर्फ जगदीशपुर बरूआरी, थाना नं०-243

पूरब :- अंश सर्वे खेसरा संख्या - 51, 52, 53, 54, 55, 91, 90, 89, 150, 169, 242,

245, 287, 288, 289, 290, 291, 230, 228, 227, 226, 224, 222, 221, 217, 307, 302, 321, 319, 330, 318, 331, 716, 709, 712, 713, 603, 604, 619, 660, 616, 609, 610, 580, 1360, 546, 554, 552, 551, 550, 2784, 556, 558, 555, एवं 559 तथा पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या - 281, 309, 711, 611, एवं 549

पश्चिम :- अंश सर्वे खेसरा संख्या - 45, 49, 94, 93, 92, 144, 145, 146, 148, 149, 139, 173, 172, 171, 242, 240, 238, 236, 184, 235, 234, 201, 233, 232, 225, 224, 213, 215, 214, 306, 324, 329, 331, 345, 346, 348, 601, 602, 603, 604, 605, 591, 590, 585, 582, 583, 559, 558, 557, 555, 2784, 445, 448 एवं 454 तथा सीमा रेखा मिसरौली, थाना नं०- 248, तथा पूर्ण सर्वे खेसरा संख्या- 339, 216, 328, एवं 600

यह अधिघोषणा अधिनियम 1,1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधिन तथा बिहार अधिनियम 11,1961 द्वारा संशोधित, उन सभी व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है।

उक्त भूमि का नक्शा विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी गंडक योजना मुजफ्फरपुर के कार्यालय में कार्य दिवस को देखा जा सकेगा।

प्रभारी कानूनगो वि० भू-अ० पदा०
मुजफ्फरपुर गं० यो०, मुज०

अपर समाहर्ता
मुजफ्फरपुर

समाहर्ता
मुजफ्फरपुर

बिहार राज्यपाल
के आदेश से
जम्हर अवर सचिव

संख्या - 2200/270

पटना, दिनांक :- 06.09.13

प्रतिलिपि :- उपसमाहर्ता प्रभारी जिला गजट शाखा मुजफ्फरपुर को जिला गजट के अगले असधारण अंक दिनांक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित 10 अतिरिक्त प्रतियाँ विशेष भू-अर्जन कार्यालय, मुजफ्फरपुर को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

~~सरकार के अपर सचिव~~

संख्या

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग बिहार पटना को तीन प्रतियों में सी0डी0 सहित दो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशन की सूचना यथा शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।

~~सरकार के अवर सचिव~~

संख्या

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी गंडक योजना, मुजफ्फरपुर को उनके पत्रांक दिनांक- के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु अग्रसारित ।

~~सरकार के अवर सचिव~~

संख्या

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- आयुक्त के सचिव, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 2381 दिनांक 20-6-13 के क्रम में सूचनार्थ ।

~~सरकार के अवर सचिव~~

संख्या

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- समाहर्ता, मुजफ्फरपुर को उनके पत्रांक 17 दिनांक 20-6-13 के क्रम में सूचनार्थ ।

✓
6/7/13
राजस्व के अवर सचिव
राजस्व एवं भूमिसुधार विभाग
बिहार, पटना।